

आदेश

उपजिलाधिकारी कपकोट की आख्या/रिपोर्ट के आधार पर जनपद बागेश्वर के अंतर्गत जौलकाण्डे-शीशाखानी मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 2.235 है० की दुगुनी अवनत भूमि 4.470 है० जो ग्राम बदियाकोट राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र, बदियाकोट तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या -110 के पैमाइशी खेत नम्बर 4320 रकवा 7.313 है० मध्ये 2.413 है० एवं खेत नम्बर 4321 रकवा 7.313 है० मध्ये 2.057 है० कुल 02 खेत रकवा 4.470 है० जो श्रेणी 9(3)ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को शासनादेश संख्या-2173/XVIII(1)2012-18 (120)/2012 दिनांक 17दिसम्बर,2012तथा उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 08 बी/यू०सी०पी०/06/4/2017/एफ०सी०/1462 दिनांक 29.11.2017 में दी गयी शर्तों के अधीन क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या -1770/ छब्बीस -07वन /2017-18 दिनांक 12/6/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
- 2- उपजिलाधिकारी, कपकोट।
- 3- अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कपकोट।
- 4- तहसीलदार, कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण/ नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

5333

निदेश संख्या

12-1-2

कार्य दिनांक

15/6/2018

दिनांक

15/6/2018

जिलाधिकारी, बागेश्वर

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।